

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई  
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 4 / 39 / 16

अनुवान-

लालाराम बनाम सरकार

इजराय



07.06.2018:-आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के डिफ्री की पालना मे नामान्तकरण संख्या 1201 दिनांक 15.03.2017 से की जा चुकी है। अतः कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई